

कार्यालय नीलामी समित जनपद न्यायालय ,देवरिया ।

- नीलामी सूचना । -

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1320/इन्फ्रा-सेल दिनांकित 18.12.2021 के आलोक में जनपद न्यायाधीश देवरिया के आदेश दिनांक 20.12.2021 के अनुपालन में जनपद न्यायालय देवरिया परिसर में 24 कोर्ट रुम भवन (G+5) के प्रस्तावित कार्य स्थल के अन्तर्गत आ रहे विभिन्न प्रजातियों के कुल 43 अदद पेड़ों की नीलामी दिनांक 05.01.2022 को अपराह्न 1:30 बजे जनपद न्यायालय देवरिया के दस कक्षीय भवन के सभागार कक्ष में समिति के समक्ष सम्पन्न होगी । उक्त पेड़ों का चिन्हांकन एवं मुल्यांकन प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया द्वारा किया गया है । मूल्यांकित धनराशि मु०-49092/- है ।

अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी सूचना के प्रकाशन की तिथि से दिनांक 04.01.2022 के बीच किसी भी कार्य दिवस में उक्त वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण कर निम्न शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकते हैं ।

नीलामी की शर्तें निम्नवत् हैं :-

- 1- नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति जनपद न्यायालय का कर्मचारी अथवा समिति के सदस्यगण या उनका कोई नातेदार नहीं होना चाहिए ।
- 2- प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत के रूप में मु०-5000/- कार्यालय नजारात जजी देवरिया में जमा करना होगा । बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है । जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा ।
- 3- नीलामी में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता, जब तक की नीलामी से अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।
- 4- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की स्वीकृत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद एकमुश्त नकद जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 5- प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण-पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 6- जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा ।
- 7- नीलामी समिति जजी देवरिया के विचार में यदि यह बात आती है कि उचित बोली नहीं बोली जा रही है तो ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित की जा सकती है ।
- 8- नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।

(लोकेश कुमार),
सदस्य,
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।

(शाश्वत पाण्डेय),
सदस्य,
नीलामी समिति
जजी, देवरिया ।

(अजय कुमार),
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु:-

- 1- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 2- जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया ।
- 3- माननीय जनपद न्यायाधीश, देवरिया
- 4- जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5- कलेक्ट्रेट / जिला परिषद एवं देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 6- जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
- 7- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने हेतु ।

(लोकेश कुमार),
सदस्य,
नीलामी समिति,
जजी देवरिया ।

(शाश्वत पाण्डेय),
सदस्य,
नीलामी समिति
जजी देवरिया ।

(अजय कुमार),
अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।